

तारीख हुकम

हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
राजस्व आवेदन संख्या 186/2019 अनवान भैराराम बनाम मोटाराम

नम्बर व
तारीखअहकाम जो
इस हुकम की
तामील मे जारी
हए


22-12-20

आदेश

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थीगण के वकील उपस्थित। अप्रार्थीगण के नोटित तामिल की श्रेणी में प्राप्त हो चुके है। आज बावजूद सूचना अनुपस्थित होने के कारण उनके विरुद्ध ईकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जाती है। वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थीगण मौजा पूनियों की बस्ती पटवार क्षेत्र आदर्श चवा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1104 रकबा 0.06 बीघा, खसरा संख्या 1105 रकबा 0.03 बीघा, खसरा संख्या 1106 रकबा 209.00 बीघा, खसरा संख्या 1110 रकबा 37.16 बीघा व खसरा संख्या 1252/1113 रकबा 01.16 बीघा कुल रकबा 249.03 बीघा व खसरा संख्या 1090 रकबा 51.05 बीघा भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है, इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने को तैयार है।

वकील प्रार्थीगण को सुनने के पश्चात पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहता है जो उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा पूनियों की बस्ती पटवार क्षेत्र आदर्श चवा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1104 रकबा 0.06 बीघा, खसरा संख्या 1105 रकबा 0.03 बीघा, खसरा संख्या 1106 रकबा 209.00 बीघा, खसरा संख्या 1110 रकबा 37.16 बीघा व खसरा संख्या 1252/1113 रकबा 01.16 बीघा कुल रकबा 249.03 बीघा व खसरा संख्या 1090 रकबा 51.05 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाडमेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्दिष्ट दिये जाते है कि उक्त कार्रवाई प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को ज्ञात नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मदेनजर) की



उप खण्ड अधिकारी
बाडमेर

तारीख हुकम

हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

राजस्व आवेदन संख्या 186/2019 अनवान भैराराम बनाम मोटाराम

जावे। कमीश्नर फीस 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। इस आशय का आदेश तहसीलदार बाडमेर के नाम जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर सामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल-सुमार होकर दाखिल दफतर हो।


उप खण्ड अधिकारी
बाडमेर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री रोहित चौहान, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2020/

प्रार्थीगण

2789

बनाम

दिनांक - 22/12/20

अप्रार्थीगण

1 भेराराम पुत्र पनाराम 2 पुरखाराम 3 चुतराराम
पिसरान पनाराम 4 नोजीदेवी पत्नी कुम्भाराम 5
दुर्गाराम 6 मूलीदेवी 7 वालाराम 8 केसाराम पिसरान
कुम्भाराम 9 वनूदेवी पत्नी धनाराम 10 भूरीदेवी 11
भंवरीदेवी पिसरान धनाराम जाति जाट निवासी पूनियों
की बस्ती (आदर्श चवा) तहसील व जिला बाड़मेर।

1 मोटाराम पुत्र अचलाराम वगैराह
जाति जाट निवासी पूनियों की
बस्ती (आदर्श चवा) तहसील व
जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 186/2019

दिनांक-

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा पूनियों की बस्ती पटवार क्षेत्र आदर्श चवा तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 1104 रकबा 0.06 बीघा, खसरा संख्या 1105 रकबा 0.03 बीघा, खसरा संख्या 1106 रकबा 209.00 बीघा, खसरा संख्या 1110 रकबा 37.16 बीघा व खसरा संख्या 1252/1113 रकबा 01.16 बीघा कुल रकबा 249.03 बीघा व खसरा संख्या 1090 रकबा 51.05 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2020/

2790-92

दिनांक- 22/12/20

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी आदर्श चवा तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. भेराराम पुत्र पनाराम वगैराह जाति जाट निवासी पूनियों की बस्ती (आदर्श चवा) तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी मोटाराम पुत्र अचलाराम वगैराह जाति जाट निवासी पूनियों की बस्ती (आदर्श चवा) तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर